**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 70 / 2017 (उदयपुर आर्डर)**

श्रीमती मांगली उर्फ मांगी पत्नी धूलचन्द जी भील, निवासी गोरेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. परता पिता लाला जी डांगी, निवासी सोनलाई, (खरबड़ो का गुड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. हकमा पिता मेघा जी डांगी, निवासी सोनलाई, (खरबड़ो का गुड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. कालूराम पिता धन्ना जी डांगी, निवासी सोनलाई, (खरबड़ो का गुड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. भंवरलाल पिता नन्दा जी डांगी, निवासी सोनलाई, (खरबड़ो का गुड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर
06–10–2017, प्र0 सं0 13 / 2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस):– 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 5

———::———

**निर्णय** **दिनांक 02–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के यहां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खरबड़ो का गुडा में स्थित आराजी नंबर 422 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि रूपा पिता कालू गमेती, निवासी खरवड़ो का गुडा को आवंटित की गयी, जबकि उक्त गांव में रूपा पिता कालू गमेती नाम का कोई भी व्यक्ति कभी नहीं रहता था और न ही है। उक्त आवंटन आदेश अनुसार बाद में उक्त भूमि रूपा पिता कालू गमेती के बजाय लाला पिता कालू भील निवासी खरवडो के गुडा के नाम राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व रेकार्ड में आराजी नंबर 1614/422 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा साबिक आराजी नंबर 422 से बने हैं। अर्थात आराजी नंबर 422 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा आराजी नंबर 1614/422 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा एक ही नंबर हैं। उक्त भूमि पर मौके पर पशु चरते हैं एवं गांव के सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। उपरोक्त भूमि पर रूपा का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, क्योंकि रूपा नाम का कोई भी व्यक्ति उक्त गांव में नहीं हैं न ही था। आवंटन पूर्व किसी प्रकार की उद्घोषणा नहीं की गयी है न ही ग्रामवासियों को सुनवाई का अवसर दिया गया है। उक्त आवंटन के आधार पर गलत तरीके से लाला पिता कालू गमेती को गैर खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं, जबकि उक्त भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा तथा लाला लाऔलाद फोत हो गया। ऐसी अवस्था में गलत तरीके से अर्थात बिना आवंटन आदेश के लाला का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हो गया है जो अवैध होकर शून्य है। अतएवं उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

उक्त आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 30/2004 के रूप में दिनांक 20–11–2004 को दर्ज हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–04–2012 से उक्त आवंटन निरस्त करते हुए भूमि तहवील सरकार लेने के आदेश दिये हैं, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट श्रीमती मांगली द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रकरण संख्या 6/2013 प्रस्तुत की गयी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–07–2016 को अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–04–2012 अपास्त कर प्रकरण में निम्नानुसार प्रेतिप्रेक्षण आदेश पारित किये :–

''उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि रूपा पिता कालू गमेती जो कि मूल आवंटी था, क्या ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में था अथवा नहीं इस

बात के लिए लाला पिता कालू भील को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में यह कथन किया गया है कि लाल पिता कालू लाऔलाद फोत हो गया, जबकि लाला पिता कालू के वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 11–04–2011 से नामान्तरकरण खुला है। प्रथम दृष्टया रूपा पिता कालू गमेती के अस्तित्व में नहीं होने तथा लाला पिता कालू भील का नाम रूपा के स्थान पर त्रुटि पूर्ण दर्ज होने तथा लाला प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने समय जिन्दा होने इत्यादि तथ्यों की प्रतिरक्षा के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट द्वारा किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया पेश शुदा रेकार्ड अनुसार त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30–04–2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर उचित समझे जाने पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा किये गये कथनों की जांच करवाकर पुनः अजसरेनव निर्णय पारित करें।''

इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/2006 दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 06–10–2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश निरस्त कर दिया, जिससे से रूष्ट होकर अपीलान्ट श्रीमती मांगली द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–11–2017 को प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट में अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ

न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया है कि अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन के वारिसों को पक्षकार बनाये बिना तथा आवंटन की मूल पत्रावली तलब किये बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। आवंटन होने के बाद भूमि लाला पिता कालू के नाम खातेदारी हक से दर्ज हुए तथा उसकी मृत्यु के बाद लाला के पुत्र भेरा व पुत्री भंवरी के नाम दर्ज हुई तथा भेरा की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी चनणी के नाम दर्ज हुई तथा चनणी बेवा भेरा व भंवरी देवी पुत्री लाला द्वारा भूमि का विक्रय दिनांक 18–07–2011 को अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। अपीलान्ट रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर काबिज हैं, जिसे सक्षम न्यायालय ने निरस्त कराये बिना आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन पूर्ण कोरम में वर्ष 1977 में किया गया है, जिसे करीब 40 वर्ष हो चुके हैं। इतने लम्बे समय बाद आवंटन को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेक्षण आदेशों की पालना नहीं की गयी है एवं मन मकसूद तरीके से निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा इस न्यायालय के प्रतिप्रेक्षण आदेश का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि आवंटन आदेश वर्ष 1977 में रूपा पिता कालू गमेती के नाम हुआ है, जबकि आवंटन आदेश व गैर खातेदारी लाला पिता कालू गमेती के नाम दर्ज कर दी गयी है। विवाद का प्रश्न यह है कि रूपा पिता कालू गमेती को भूमि आवंटित होने के बाद लाला पिता कालू गमेती के नाम दर्ज क्यों व किस प्रकार की गयी है ? लाला पिता कालू गमेती को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गयी हैं तथा उसके वारिसान द्वारा भूमि का विक्रय अपीलान्ट मांगली को किया गया है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेक्षण आदेश में यह सुस्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रकरण में लाला पिता कालू गमेती के वारिसान को पक्षकार बनाकर एवं सुनकर निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट लाला पिता कालू गमेती के वारिसान के आधार पर अपना स्वत्व होना बताता है, तो यह दायित्व उस पर था कि वह लाला पिता कालू गमेती के वारिसान को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संस्थित करवाते

तथा उनके द्वारा यह बताया जाता कि लाला पिता कालू गमेती के स्थान पर लाला पिता कालू गमेती की प्रविष्टि क्यों व किस प्रकार हुई है ? वस्तुतः अपीलान्ट अपना स्वत्व लाला पिता कालू गमेती के वारिसान से प्राप्त होना बताते हैं तो लाला पिता कालू गमेती की प्रविष्टि को सही बताने का भार अपीलान्ट पर था, क्योंकि यहां पर प्रश्नांकित यही है कि लाला पिता कालू गमेती के स्थान पर आवंटन रूपा पिता कालू गमेती को हुआ था, तो फिर लाला पिता कालू गमेती का नाम रूपा के स्थान पर क्यों व कैसे दर्ज हुआ, इसे साबिक कराने का दायित्व अपीलान्ट पर था, परन्तु उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में लाला के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहां यह सुस्पष्ट है कि जब रेकार्ड पर यह ही स्थापित नहीं है कि रूपा पिता कालू गमेती के स्थान पर लाला पिता कालू गमेती दर्ज होना निसंदेह सद्भावी कार्यवाही नहीं है, तद्नुसार आवंटन आदेश से पृथक व्यक्ति के नाम दर्ज आवंटन को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–10–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**